(70)

संख्या-2079/X-2-2011-12(66)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 08 दिसम्बर नवम्बर, 2011

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "प्रोजेक्ट एलीफेन्ट" के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-675/3-6 (प्रोजेक्ट एलीफेंट) दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"प्रोजेक्ट एलीफेन्ट"** (100 प्रतिशत केन्द्रांश) के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु **₹ 90,00,000/- (₹ नब्बे लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-1-11/2009-PE, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Project Elephant" हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर भारत सरकार द्वारा कार्यवार अनुमोदित लागत की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

क्रमशः :....2

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(11) योजना में अग्रेत्तर वित्तीय स्वीकृति/धनराशि अवमुक्त तभी की जायेगी जब सम्पूर्ण परियोजना/कार्ययोजना मय योजना अवधि, कुल लागत, वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, outcome/impact के लक्ष्य/अनुमान, चयनित कार्यों का विवरण आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट/प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0103-**"प्रोजेक्ट एलीफेन्ट"** हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4
1	15-गाड़ियों का अनुरक्षण	800	600
2	24-वृहत निर्माण कार्य	10000	935
3	25- लघु निर्माण कार्य	12000	2595
4	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6500	120
5	29- अनुरक्षण	17400	2507
6	42-अन्य व्यय	5000	2243
	योग	51700	9000

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ नब्बे लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-244(P)/XXVII(1)/2011, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमश :....3

संख्या--2079 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी--1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय--देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड, देहरादून.
8. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
17. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव